पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 08.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2023 को एक तरफा में स्थगन आदेश पारित फरमा दिया प्रार्थीया द्वारा दिनांक 18.07.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है लेकिन 6 माह से अधिक समय के बावजूद प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं हो पा रहा है एवं आगामी पेशी दिनांक 25.01.2024 नियत कर दी गई है एवं प्रत्येक पेशी पर मात्र मोहर अंकित की जाती रही है, जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मात्र 6 माह में निर्णय किया जाना प्रावधित हे। जिससे प्रार्थीया के पास आदेश दिनांक 16.06.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुती के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है क्योंकि उक्त स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थीया संख्या 01 प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करती है तथा आये दिन रास्ता अवरूद्ध कर बेदखल करने की धमकी देती है तथा प्रार्थीया भूमि को विकसित करने, ऋण प्राप्त करने व अन्य राजकीय लाभों से वंचित हो रही है जिससे अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है, जबकि प्रार्थीय रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं। उक्त अपूरणीय क्षति के कारण ही कानूनी सलाह के आधार पर दिनांक 18.10.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की कानूनी सलाह के आधार पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 04.01.2024 को नकल प्राप्त हुई एवं कानूनी जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। गुणावगुण पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थीया संख्या 1 प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एवं बाधा उत्पन्न करती है एवं प्रार्थीया के रास्ते का अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2023 की क्रियान्विति, पालना एवं प्रभाव ताफैसला अपील स्थगित फरमाई जाना न्यायोचित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ताफैसला अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मु) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2023 की क्रियान्विति, पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 16.6.2023 को एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश रेस्पोडेंट 1 के पक्ष में 212 के प्रार्थना पत्र में दिया गया था। अपीलांट द्वारा दिनांक 18.7.2023 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था लेकिन अब तक उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया लेकिन आगामी पेशी दिनांक 25.1.2024 नियत कर दी गई थी इस वजह से अपीलांट प्रार्थीया के पास एकपक्षीय आदेश दिनांक 16.6.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा। उक्त स्थगन आदेश की आडमें अप्रार्थी 1 प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करती है व आए दिन रास्ता अवरूद्ध कर बेदखल करने की धमकी देती है। इससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जबकि वह रिकार्डेड सहखातेदार है। दिनांक 18.10.2023 को उसके अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई जिस पर उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 4.1.2024 को नकल प्राप्त की गई। देरी को क्षमा किया जाए।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरणों में अगले एक माह में जवाब लेकर बहस सुनी जाकर अंतिम निर्णय करना होता है। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है इस वजह से अपीलांट को अपील लानी पडी है। अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 18.7.2023 को ही वर्तमान प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत

29.1.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी

कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करना चाहिए था जो नहीं किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायालय प्रोसिडिंग से स्पष्ट है कि अगली पेशी दिनांक 25.1.2024 हेतु नियत है। अपीलांट के पास अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा तथा अपने अभिभाषक की सलाह के बाद दिनांक 18.10.2023 के बाद नकल प्राप्ति दिनांक 4.1.2024 के तुरंत बाद दिनांक 8.1.2024 को प्रस्तुत कर दी गई है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के अनुसार स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व बाधा उत्पन्न करती है प्रार्थीया के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति हो रही है साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में बताया। तथा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.6.2023 की पालना व प्रभाव को स्थगित करने का निवेदन किया।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट के अनुसार विवादित भूमियां बूबानी तहसील अजमेर के खाता संख्या 588 में कुल खसरा संख्या 6 कुल 1590,1597,1607,1608,1949,360 रकबा 0.8500 है0 जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/4 व 1/4 हिस्सा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा धारा 53, 188 आरटी एक्ट के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर में वादपत्र दायर किया है जिसमें रेस्पोडेंट सख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.6.2023 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के बाद तारीख पर तारीख दी जा रही है। ना तामिल रिपोर्ट का कहीं जिक किया गया है ना ही नए नोटिस पेश करने बाबत कोई आदेश दिए गए है। आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी की पालना नहीं की जा रही है। खेत के आगे वाले हिस्से में रास्ते पर लक्ष्मी का मकान है। इसके द्वारा रास्ता बंद कर दिया है। खेत में आने जाने नहीं देती हैं । सहखातेदार के विरूद्ध टीआई जारी नहीं की जा सकती जमीन पुश्तैनी है।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2023 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश निम्नानुसार है अतः" **अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 6.7.2023 तक पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीया के हिस्से की कब्जे काश्त मेंकिसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करे।**" विवादित भूमियों में अपीलांट व रेस्पोडेंट 1/4 व 1/4 हिस्से के सहखातेदार हैं। भूमियां अविभाजित है तथा अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच में सभी सहखातेदारों का हक होता है। बिना बंटवारे किए किसी भी सहखातेदार का हिस्सा स्पेसिफिक रूप से चिंहित नहीं किया जा सकता की वह कहां काबिज है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में इस बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि सहखातेदार को टीआई के माध्यम से पाबंद नहीं किया जा सकता– श्रीराम बनाम बोदूराम एवं अन्य 2004(1) आरआरटी 365, प्रकाशकंवर एवं अन्य बनाम कैलाशचंद्र एवं अन्य 2001(2)आरआरटी 1261, छावली एवं अन्य बनाम बालकी देवी एवं अन्य 2016(1) आरआरटी 113 इन सब में यह माना गया है कि एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता प्रत्येक सहखातेदार प्रत्येक इंच पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड रहा है जिस वजह से उसे अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः इस स्टेज पर न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए अनुतोष को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.6.2023 को स्थगित करता है। पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है आगामी दो सप्ताह में शेष अप्रार्थीगणों की तलबी पूर्ण कर अंतिम रूप से गुणावगुण पर 212 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिए जाने पर उक्त आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

29.1.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर